कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 523 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–नैनीताल में ढ़िकुली पेयजल योजना रामनगर (नैनीताल) के निर्माण हेतु 0.075 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/WATER/151514/2022)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/41/2022/एफ0सी0/1511 दिनांक 03.02.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की परिपूर्ण/बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा अपने पत्रांक–314/12–1 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण –** **क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 280 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आव यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। **ख)** राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुये इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	**प्रतिपूरक वनीकरण –** **क)** कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 280 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार रू० 4,50,800.00 (रू० चार लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)** **ख)** प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी पौंधारोपण योजना, क्षेत्र का नाम एवं Coordinates, डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

	ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और उब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WPC संख्या–202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.075 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 92,144.00 तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है, जिसकी Online Transction acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित शपथ–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 28 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7	Prior approval under FC Act, 1980 should be taken if any electric line or water distribution pipe-line is planned in future in the forest area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11. 2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेशित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्श की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम, दिनांक 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नही किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का Layout Plan नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्दे ानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/ 2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवा निस्तारित करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
27	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही/स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

16/9/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 523 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल)।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।